

मध्यप्रदेश शासन, वधि और वधायी कार्य वभाग

प्रेषक:-

अमतिभ मशिर

अतरिक्त सचवि वधि,

प्रति,

शरी मशिरा सौरभ,

अधविक्ता, उच्चतम न्यायालय,

ए-८९ (एल जी एफ) डफिस कालोनी, नई दलिली - ११००२४

भोपाल, दनिंक 11/09/2015

वषिय:-मान0 उच्च न्यायालय, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर की वरिद्ध मध्य प्रदेश शासन में पारति आदेश
दनिंक 11/09/2015 के वरिद्ध एस एल पी प्रस्तुत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त वषियांकति प्रकरण में मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर द्वारा पारति आदेश / नर्णय दनिंक
11/09/2015 के वरिद्ध मान0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष वशिष अनुमतियाचिका प्रस्तुत करें।

प्रशासकीय वभाग द्वारा प्रस्ताव दविस वलिंब से प्रेषति किये गया है ।

हस्ताक्षरयुक्त वकालतनामा संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अमतिभ मशिर

अतरिक्त सचवि

मध्यप्रदेश शासन, वधि और वधायी कार्य वभाग

प्रतलिपि:-

1. महाधविक्ता/अतरिक्त महाधविक्ता, मान0 उच्च न्यायालय,जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर की ओर इस वभाग के परपितर
दनिंक 11/09/2015 की छायाप्रतिसंलग्न प्रेषति कर लेख है कभिवषिय में एस एल पी /रटि अपील दायर किये जाने
वाले प्रकरणों में शासकीय अधविक्ता द्वारा स्पष्ट अभमित एवं आधार के साथ अभमित दिये जाने के सम्बन्ध में
नर्दिशति किये जाने हेतु अग्रेषति।

2. सचवि मध्यप्रदेश शासन, वभाग भोपाल की ओर उनके यू . ओ. क्र. 4545 दनिंक 11/09/2015 के संदर्भ में उनकी
वभागीय नस्ती के साथ भेजकर नविदन है कप्रकरण के प्रभारी अधिकारी को नर्दिश दें कविह तत्काल उपरोक्त
अधविक्ता से नई दलिली में संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करवाये। साथ ही देरी के तथ्य को स्पष्ट करने का
उत्तरदायित्व प्रशासकीय वभाग का होगा ।

अमतिभ मशिर

अतरिक्त सचवि

मध्यप्रदेश शासन, वधि और वधायी कार्य वभाग